संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत अखिल भारतीय मौर्य महासंघ का पंजीकरण

अखिल भारतीय मौर्य महासंघ का ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : अखिल भारतीय मौर्य महासंघ (शाक्य, कुशवाहा, सैनी, रामी, रेड्डी, माली, मरार, महतो आदि की प्रतिनिधि सभा)

2. संस्था का कार्यालय : **महासंघ का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा और वर्तमान में यह एच-16/216, मौर्य भवन, संगम विहार, नई दिल्ली-62 में स्थित है।**

2(क) संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण भारतवर्ष**

3. उद्देश्य : महासंघ के उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे -

(क) महासंघ का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में रहने वाले स्वजातीय समाज को वर्तमान स्थिति से बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा निरन्तर प्रगति के लिए उत्प्रेरित करना है।

(ख) शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु पाठशाला, स्कूल, छात्रावास, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, बाचनालय, योगाश्रम, व्यायामशाला जैसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन करना।

(ग) सामाज के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, शिक्षण प्रशिक्षण, संगीत, नाटक मण्डली, तकनीकी विद्यालयों एवं ग्रामोद्योग आदि की स्थापना तथा संचालन करना।

(घ) शिक्षा के प्रचार के लिए रात्रि पाठशालाओं, चलचित्रों कार्यक्रमों आदि का संचालन करना एवं स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों एवं दवाखानों का संचालन करना। साक्षरता अभियान में सरकार का सहयोग करना।

(ङ) निर्धन छात्र-छात्राओं को उत्तम शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता तथा अनुदान आदि उपायों द्वारा प्रोत्सहित करना तथा बच्चों के विकास हेतु खेल कूद जैसी अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(च) समाज के अपंग, असहास, विधवाओं वृद्धों एवं कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना एवं उनका लाभ उठाने में सदस्यों की सहायता करना।

(छ) स्वाजातीय समाज को अन्य पिछड़े वर्ग के सरकारी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सहायता करना। समाज की युवा शक्ति को एकजुट करने रचनात्मक कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त करना।

(ज) समाज में भ्रातृत्व एवं प्रेम को बढ़ावा देकर सभी बन्धुओं में आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता, सम्पन्नता, विशालता आदि की भावना भरकर उन्हें एक सूत्र में बांधना।

(झ) महिलाओं एवं पुरूषों की शैक्षिक, आर्थिक, समाजिक आदि सर्वांगीण उन्नति के लिए पाठशालाओं विद्यालयो, कलाकेन्द्रों, सिलाई कढाई बुनाई केन्द्रों आदि का संचालन करना। समाज में बाल विवाह नारी शोषण उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों में सरकार की सहायता करना।

(ञ) समाज में प्रचलित कुरीतियों, बाल विवाह, दहेज, आभूषण तथा विवाहों एवं अन्य उत्सवों में अपव्यय को समाप्त करने एवं उच्च संस्कारों को पुनः प्रश्रय देने के लिए उद्यम करना। समाज को मांसाहार, मद्यपान जैसे अन्य दुर्व्यसनों से दूर रखने का प्रयास करना। परिवार कल्याण एवं [illegible] जैसे कार्यक्रम के लिए प्रचार करना।

-ग.

10.	रामपूर्ति मौर्य	76/13/2ए चंचल पार्क, नांगलोई, दिल्ली	नौकरी	संगठन मंत्री
11.	सी. एल. मौर्य	जे-2 बी 77/4, संगम विहार, न.दि.-62	निजी व्यवसाय	प्रचार मंत्री
12.	बाबू लाल मौर्य	मौर्य भवन, ककवारोड, अमेठी सुल्तान पुर उ0 प्र0	नौकरी	प्रचार मंत्री
13.	डा. एस. डी. मौर्य	एच 16/216, संगम विहार, नई दिल्ली-62	नौकरी	का. सदस्य
15	राधेश्याम मौर्य	1166, सैक्टर 2/23, संजय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा	नौकरी	का. सदस्य
16.	ओंकार प्रसाद मौर्य	वार्ड नं0-2, मोहल्ला - महारानी लक्ष्मीबाई नगर पालिका, जिला - जांजगीर, चांपा (म0प्र0)	निजी व्यवसाय	का. सदस्य
17.	रामअधार मौर्य	रामदरबार फेस-1, चण्डीगढ	नौकरी	का. सदस्य
18	भगवान दास मौर्य	बी-71 ज्वाला पुरी, दिल्ली-87	निजी व्यवसाय	का. सदस्य
18.	श्रीमति शैल कुमारी शाक्य	बी/580, संगम विहार, नई दिल्ली-62	समाजसेवा	का. सदस्य
19.	श्री प्रेमचन्द्र राम	डी-46, हरकेश नगर, नई दिल्ली, 20	नौकरी	का. सदस्य
20.	श्री सूरज मल मौर्य	87, पवरी, राजपुरा, पटियाला (पंजाब)	नौकरी	का. सदस्य

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

दस रुपये रु.10

भारत INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

05A [illegible] 224501

इच्छुक व्यक्ति

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता इस संस्था के ज्ञापन पत्र के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभारी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन अखिल भारतीय मौर्य महासंघ बनाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम	घर का पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	चन्द्र भवन मौर्य	सी-1451/4 इन्दिरानगर, लखनऊ (उ.प्र.) (1)	समाज सेवा	
2.	रामशरन मौर्य	6575/1 जसपरिफन रोड, लुधियाना पंजाब (2)	समाज सेवा	
3.	डा. शिवमूर्ति लाल मौर्य	253, पल्टन बाजार प्रतापगढ़ प्रतापगढ़, उ.प्र. 230001	निजी व्यवसाय	
4.	जगदीश मौर्य	353/1833 गु.ह. बो., बापू नगर, अहमदाबाद गुजरात (3)	नौकरी	
5.	रामदेव मौर्य	504/3 देवली, लालडोरा, नई दिल्ली-62 (4)	नौकरी	
6.	रामभरोस मौर्य	110वी रामदर्शन सोसाइटी, बोरीवली मुम्बई महाराष्ट्र (5)	समाज सेवा	
7.	सूर्यप्रसाद मौर्य	मुल्हिया मऊ, भूये मऊ, रायबरेली, उ.प्र.	नौकरी	
8.	डा. हरि राम मौर्य	बी-162 ए संगम विहार, नई दिल्ली-62	नौकरी	
[illegible]	[illegible] सैनी	एल-756, संगम विहार, नई दिल्ली-62	नौकरी	
			नौकरी	
10	राममूर्ति मौर्य	76/[illegible] [illegible] पार्क, [illegible], नई दिल्ली	नौकरी	

11	टी. एल. मौर्य	जे-2 बी 77/4, संगम विहार, नई दिल्ली-62	निजी व्यवसाय	[signature]
12	बाबू लाल मौर्य	मौर्य भवन, ककवारोड, अमेठी सुल्तान पुर उ0 प्र0	नौकरी	[signature]
13	डा. एस. डी. मौर्य	एच 16/216, संगम विहार, नई दिल्ली-62	नौकरी	[signature]
15	राधेश्याम मौर्य	SF-1166 संजय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा	नौकरी	R.S. Maurya
16	ओंकार प्रसाद मौर्य	वार्ड न0-2, मोहल्ला-मदरानी लक्ष्मीबाई, नपा कारा द्वार, जिला - जांजगीर (म0प्र0)	निजी व्यवसाय	[signature]
17	रामअधार मौर्य	रामदरबार फेस-1, चण्डीगढ	नौकरी	[signature]
18	भगवान दास मौर्य	बी-71 ज्वाला पुरी, नई दिल्ली - 87	निजी व्यवसाय	B.D. Maurya
19	श्रीमति शैल कुमारी मौर्य	B-580 संगम विहार, नई दिल्ली-62	समाजसेवा	Shail Kumari
19	[illegible] राम	D-[illegible] [illegible] नगर [illegible]	[illegible]	प्रेम चन्द राम
20	श्री सूरज मल मौर्य	87 पवरी [illegible] राजपुरा, पटियाला (पंजाब)	नौकरी	Suraj Mal Maurya

REGISTRAR OF SOCIETIES ★ GOVT. OF NCT DELHI ★

Govt. of India ... Notary ... Delhi

18 JAN 2007

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

DELHI (INDIA)

अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के नियम एवं उपनियम

1. संस्था का नाम : अखिल भारतीय मौर्य महासंघ
शाक्य कुशवाहा, सैनी, रागी, रेड्डी, माली, मरार, महतो आदि की प्रतिनिधि सभा।

2. **पारिभाषित सदस्यता**
अखिल भारतीय मौर्य महासंघ में सभी शाखाओं उपशाखाओं के लिए सदस्यता के दरवाजे खुले है जो समाज के अग्रज सम्राट चन्द्रगुप्त, अशोक, महात्माबुद्ध, महाराजा सूर सैनी तथा महात्मा ज्योतिराव फुल्ले को अपना आदर्श एवं पूर्वज मानते है।

3. **सदस्यों की योग्यता**
(क) चरित्रवान भारतीय नागरिक, जो भारतीय दण्ड विधान से दण्डित न हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा संघ का वेतन भोगी कर्मचारी न हो।
(ख) अ. भा. मौर्य महासंघ की कार्यकारिणी एवं साधारण समिति के वही सदस्य होगे जिनको प्रान्तीय संघ चुनकर भेजेगा।
(ग) बैठक या कार्यकारिणी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता हो।
(घ) अखिल भारतीय मौर्य महा संघ के प्रति निष्ठावान होना, समय–समय पर महासंघ के लिए धन संग्रह करने की क्षमता रखना एवं समय पर सदस्यता शुल्क आदि जमा करवाना।

4 **सदस्यता शुल्क एवं चन्दा**
सदस्यता शुल्क 120/– वार्षिक होगा जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन द्वारा बढाया, घटाया या समाप्त किया जा सकता है। विशेष आयोजनो एवं कार्यक्रमो के लिए अलग से चन्दा वसूला जाएगा।

5. **सदस्यता समापन**
किसी सदस्य द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या समाज विरोधी अथवा अनैतिक गतिविधि करते हुए पाये जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

6. **अपील व पुन सदस्यता आबंटन**
निलम्बित सदस्य पुनः सदस्यता आबंटन के लिए कार्यकारिणी के समक्ष अपील कर सकता है। निर्दोष पाए जाने पर उसकी सदस्यता बरकरार मानी जाएगी अन्यथा 3 वर्ष बाद वह पुनः सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है।

7. **सदस्यता के अधिकार व विशेषाधिकार**
(i) प्रत्येक सदस्य मोलिक रूप से प्रान्तीय सघं का सदस्य होगा, जिसे प्रान्तीय संगठित करने तथा उसके क्रियाकलापो में भाग लेने और सस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने का अधिकार होगा।
(ii) प्रान्तीय संघों द्वारा निर्वाचित सदस्य साधारण समिति के सदस्य होगे।
(iii) साधारण समिति के सदस्य अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की कार्यकारिणी के चयन करने का अधिकारी होगे।

8(क) **अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की महासभा**
महासभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 28 होगी। प्रत्येक प्रान्तीय, महा संघों से भेजे हुए प्रतिनिधियों द्वारा गठित समिति संघ की साधारण समिति कहलायेगी। प्रत्येक प्रान्तीय संघों के प्रतिनिधियों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है :–

1. उत्तर प्रदेश – 6
2. मध्य प्रदेश 1
3. राजस्थान – 1
4 दिल्ली – 8
5. हरियाणा – 1
6. पंजाब – 2
7. बिहार – 1
8. महाराष्ट्र – 1
9. बंगाल – 1
10. आसाम – 1
11 गुजरात – 1
12. तमिलनाडु – 1
13. छत्तीसगढ़ – 1
14. उत्तरॉचल – 1
15. झारखण्ड – 1

8 (ख) सदस्यों के कर्तव्य

(i) प्रत्येक सदस्य महासंघ के कोष को बढ़ाने के लिए रसीद द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक हजार रूपये संघ के कोष में जमा करें तथा वर्ष में एक सौ रूपये सदस्यता शुल्क जमा करे। इस प्रकार अपने कार्य काल में निरन्तर कार्य करता रहे।

(ii) संघ की प्रत्येक साधारण सभा की बैठकों में भाग लेना और ठोस प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना एवं उन प्रस्तावों को बहुमत से पास करवाने में सहायता करना।

(iii) प्रान्तीय अधिवेशनों को कराने के लिए प्रत्येक प्रान्तों के सदस्य अपने अपने प्रान्तों में अधिवेशन कराने में पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।

8 (ग) महासभा की बैठक

प्रत्येक वर्ष के अन्त में होगी। इस बैठक में महामन्त्री समस्त सदस्यों को उपस्थित कराने का प्रयास करेगा। महामन्त्री बैठक की सूचना एक माह पूर्व व्यक्तिगत रूप से लिखित में डाक द्वारा भेजेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य आवश्यक बैठक तार देकर बुलाई जा सकती है। यह साधारण समिति की आवश्यक आपात बैठक होगी। साधारण समिति की वार्षिक बैठक में महामन्त्री द्वारा महासंघ का वार्षिक आय–व्यय का लेखा प्रस्तुत करेगा एवं भावी कार्यक्रमों के लिए अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्राप्त करना है। इस बैठक की कार्यवाही को महामन्त्री जातीय पात्रिकाओं में प्रकाशित करवाएगें।

8 (घ) गणपूर्ति

किसी भी बैठक में महासभा के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जाएगी और कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित माना जाएगा।

9 कार्यकारिणी

कार्यकारिणी में पद एवं पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या 12 होगी।
शेष सभी प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होगें।

1. अध्यक्ष – एक
2. उपाध्यक्ष – तीन।
3. महामन्त्री – एक
4. मन्त्री – दो
5. कोषाध्यक्ष – एक
6. कोषाध्यक्ष – एक
7. लेखनिरीक्षक – एक
8. संगठन मन्त्री – एक
9. प्रचार मंत्री – दो
10. सदस्य – सात

इस कार्यकारिणी में अलग–अलग प्रदेशों के आठ सदस्यों का निर्वाचन होगा। एक व्यक्ति लगातार पांच बार तक ही एक पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इस कार्यकारिणी के

पदाधिकारियों की योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन कर्तव्य और अधिकार आदि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अध्यक्ष

क. योग्यता स्नातक हिन्दी भाषा और अंग्रेजी पढ़ने एवं समझने की क्षमता रखना। संघ के नियमों, उपनियमों एवं उद्देश्यो में निष्ठावान होना।

ख. कार्यकाल : दो वर्ष।

ग. निर्वाचन : महासभा के सदस्यों द्वारा निर्धारित पद्धति से बहुमत के आधार पर निर्वाचन होगा।

घ. कर्तव्य :

(i) महासंघ के प्रत्येक विभाग की सतर्कता से देखभाल करना। उसके प्रति उत्तरदायी होना।

(ii) अपने कार्यालय से समस्त कार्यकारिणी के सदस्यो को निर्देश एवं सूचना देना।

(iii) महासभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(iv) बैठकों अधिवेशनों, प्रदर्शनों आदि में उपस्थित होकर शान्ति व्यवस्था एवं नियन्त्रण बनाये रखना।

ङ. अधिकार

(i) अध्यक्ष मौर्य महा संघ के समस्त वित्तीय अभिलेखों को महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के साथ जिम्मेदार होगा।

(ii) वित्तीय साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

(iii) अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अनुशासन हीनता के कारण मौर्य महा संघ के कार्यो में विध्न डालने वाले अनुशासन हीन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है।

(iv) महासंघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। इस सब कार्यवाही के लिए अध्यक्ष साधारण समिति की बैठक बुलाकर अपने कार्यवाही पर प्रकाश डालेंगे।

(v) महा सम्मेलनों एवं अधिवेशनों की स्वीकृति अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से होगी।

(vi) अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया - महासंघ की कार्यकारिणी एवं महासभा के संयुक्त सदस्यों की संख्या-के 9/10 की उपस्थिति में उपस्थिति के 3/4 के बहुमत से महासंघ के अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है जिसे साधारण समिति के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

उपाध्यक्ष

क. योग्यता : मैट्रिक या समकक्ष और अंग्रेजी हिन्दी पढ़ने लिखने एवं समझने की क्षमता रखना। महासंघ के नियम उपनियम में निष्ठावान होना।

ख. कार्यकाल : दो वर्ष।

ग. निर्वाचन :- मौर्य महासंघ के द्वारा बहुमत के आधार पर।

घ. कर्तव्य एवं अधिकार : अध्यक्ष की सहायता करना एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय अधिकार को छोड़कर सारे कार्यों को चलाने के लिए अधिकार होगा।

महामन्त्री

क योग्यता :-

स्नातक कम से कम हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना और लिखने बोलने की पूर्ण क्षमता रखना।

ग महासंघ के प्रति निष्ठावान होना।

ग निर्वाचन : बहुमत के आधार पर।

घ कार्यकाल : दो वर्ष

ड. कर्तव्य

(i) महासंघ के समस्त अभिलेखों को रखना जिसकी सहायता के लिए मुख्य कार्यालय के कार्यालय मंत्री एवं अन्य लिपिक होगें।

(ii) महासंघ की ओर से सब प्रकार के पत्रव्यवहार करना। नीति सम्बन्धी पत्रव्यवहारों पर अध्यक्ष की स्वीकृति लेना।

(iii) प्रदेशीय व प्रान्तीय महामन्त्री एवं अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एवं जिला मन्त्रियों से पत्र व्यवहार करना।

(iv) महासंघ की ओर से जारी किये गए परिपत्रों की समस्त प्रान्तीय अध्यक्षों एवं मन्त्रियों के पास भेजकर जिलाध्यक्षों के पास भिजवाना।

(v) निर्धारित सीमा के वित्तीय अभिलेखों को कोषाध्यक्ष से प्राप्त कर अन्तिम स्वीकृति के लिए अध्यक्ष के सामने रखना। इन अभिलेखो बिलों पर कोषाध्यक्ष महामन्त्री एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने आवश्यक है।

(vi) अपने अधीन मन्त्रियों को उनके कार्यक्षेत्रों का वर्गीकरण करके उनके कार्यों की रुपरेखा तैयार कर उस कार्य क्षेत्र में इन मन्त्रियों से तालमेल स्थापित करना।

(vii) अपने कार्यकाल के दौरान जून माह के आरंभ से ही संघ के अधिवेशन/सम्मेलन की रुपरेखा प्रस्तुत कर नवीन निर्वाचन के लिए प्रान्तीय मौर्य महा संघ द्वारा मनोनीत सदस्यों को आमन्त्रित कर नवीन निर्वाचन कराना। ताकि नए पदाधिकारी अगस्त के आरंभ में अपना पदभार ग्रहण कर लें।

(viii) निर्वाचन के पश्चात महासंघ का अधिवेशन (वार्षिक) कराकर नवीन कार्यकारिणी को कार्यभार सौपना।

(ix) प्रान्तीय संघों के अधिवेशनों में उपस्थित रहना और इन अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के पदाधिकारियों को अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित करना।

(x) महामंत्री कोषाध्यक्ष से 5,000/- तक खर्च हेतु प्राप्त कर हिसाब कोषाध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा।

मन्त्री

क योग्यता : मैट्रिक या समकक्ष

ख चुनाव : महासंघ के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर।

ग कार्यकाल :- दो वर्ष।

घ अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) महामन्त्री के निर्देशनों के अन्तर्गत मन्त्री अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनायेंगे और महामन्त्री से पत्रों द्वारा सीधा सम्पर्क करेंगे।

(ii) महासंघ की समस्त निर्धारित नीतियों को आम जनता के मध्य प्रचारित करेंगे।

(iii) महामन्त्री की सहायता करना। अधिवेशनों एवं सदन की बैठकों में महामन्त्री की अनुपस्थिति में महामन्त्री पद के सारे कार्यों को चलाना।

कोषाध्यक्ष

महासंघ के लेखा-जोखा के लिए एक कोषाध्यक्ष होगा। महासंघ अपना बायलॉज भेजकर किसी भी अनुसूचित बैंक में अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के नाम से कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं महामंत्री के संयुक्त नाम से खाता खुलवा देगा जिसका संचालन अध्यक्ष व महामंत्री में से किसी एक के हस्ताक्षर कराने के बाद कोषाध्यक्ष अपने हस्ताक्षर भी करके संयुक्त खाता से रकम निकालेगा। पांच हजार से अधिक पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

क योग्यता:
मैट्रिक हिसाब किताब रोकड़ आदि रखने का पूर्ण ज्ञान।

ख हिन्दी, अंग्रेजी लिखने व बोलने का पूर्ण ज्ञान।

ग चुनाव :- साधारण समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा।

घ कार्यकाल :- दो वर्ष।

ड अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) समस्त रोकड़ बही लिखना व लिखवाना।

(ii) अध्यक्ष के स्वीकृति पत्र के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति को धन देना तथा इस धन की पावती उस व्यक्ति से लेना।

(iii) व्यय एवं आय के समस्त बाउचरों की फाइल रखना। आय-व्यय का वार्षिक चिट्ठा तैयार कर महामन्त्री के हस्ताक्षर होने के बाद अध्यक्ष के सामने अभिलेख प्रस्तुत करना।

(iv) कार्यकाल समाप्त होने पर बैठक में नवीन, निर्वाचित कोषाध्यक्ष को समस्त लेखा-जोखा एवं कार्यभार सौंपना।

(v) महासंघ के दिन प्रति दिन व्यय के लिए एक हजार रुपये तक रोकड़ रखेगा बाकी रकम संस्था के खाते में जमा रखेगा।

सहायक कोषाध्यक्ष

क योयता: कोषाध्यक्ष के समान।

ख कार्यकाल :- दो वर्ष।

ग निर्वाचन : महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा ।

घ अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) प्रान्तीय कोषाध्यक्ष के आय-व्यय का लेखा जोखा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष को भेजवाना।

(ii) कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सम्पूर्ण कार्यो को सुचारु रुप से चलाना।

11

लेखा निरीक्षक

क योग्यता : कम से कम स्नातक तथा हिन्दी अग्रेंजी लिखने पढने की क्षमता, एकाउन्ट्स आडिट करने के कार्य की क्षमता रखता हो।

ख कार्यकाल :- दो वर्ष।

ग निर्वाचन : लेखानिरीक्षक का निर्वाचन नहीं होगा वरन कार्यकारिणी समिति के बहुमत पर समाज के किसी निष्पक्ष एवं मेधावी तथा निर्भीक व्यक्ति को लेखानिरीक्षक का पद दिया जायेगा।

घ कर्तव्य :-

(i) महासंघ के आय-व्यय के हिसाब की जांच करना और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।

(ii) प्रान्तीय मौर्य महा संघों के हिसाबों का आकस्मिक निरीक्षण करना।

(iii) प्रान्तीय मौर्य महा संघों के हिसाबों का निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रान्तीय अध्यक्ष, प्रान्तीय महामन्त्री और राष्ट्रीय महामंत्री प्रान्तीय कोषाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कोषाध्यक्ष को भेजना।

ङ अधिकार : अनियमितता पाये जाने पर समस्त सम्बन्धित कागजातों को सील कर देना। अनियमितता की विधिवत रिपोर्ट एवं विवरण तैयार करना, महामंत्री को अनियमितताओं की जानकारी देगा तथा महामंत्री अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत कर कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा। कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।

REGISTRAR OF SOCIETIES

संगठन मन्त्री

क योग्यता :- मैट्रिक हिन्दी पढने-लिखने की योग्यता रखता हो।

ख कार्यकाल :- दो वर्ष।

ग निर्वाचन :- महासंघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा।

घ अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में संस्था की ईकाइयों को गठित करना।

(ii) निष्क्रिय ईकाइयों को सक्रिय करना।

(iii) अन्य स्वजातिय सामाजिक संस्थाओं को अपने महासंघ के साथ सामंजस्य एवं तालमेल रखना

(iv) अपने कार्यो का विवरण महामंत्री को देना तथा कार्यकारिणी संघ की पूर्ण सहायता करना

प्रचार मंत्री

क योग्यता :- संगठन मंत्री के अनुसार।

ख कार्यकाल :- दो वर्ष।

ग निर्वाचन :- महासंघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा।

घ अधिकार एवं कर्तव्य :-

(i) अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके तथा पर्चे आदि बांटकर संस्था की नीतियों, उद्देश्यों सन्देशों उसके कर्तव्यों बैठकों अधिवेशनों आदि का प्रचार घर-घर करना कराना।

(ii) वरिष्ठता के आधार पर प्रचार समिति का प्रमुख होना।

(iii) महासंघ के अधिकाधिक सदस्य बनाना। संस्था के पत्र पत्रिकाओं के भी सदस्य बनाना।
(iv) संस्था के लिए पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों अदि का प्रकाशन करवाना।
(v) स्ववंशीय समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्धविश्वासों आदि के निवारण हेतु योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य करना।
(vi) अपने प्रचार कार्यों की रिपोर्ट महामन्त्री को देना।

बैठक की गणपूर्ति

किसी भी बैठक में मौर्य महासंघ के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जाएगी और कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 3/4 मत से पारित माना जाएगा।

आकस्मिक रिक्तियों को भरना

आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा और उसके निर्णय अनुसार नियुक्ति की जाएगी। तदर्थ रिक्ति भरने का अधिकार अध्यक्ष को होगा जिसकी पुष्टि कार्यकारिणी द्वारा होना आवश्यक है।

चुनाव प्रक्रिया

(i) वार्षिक अधिवेशन के पहले, कार्यकारिणी के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो कि चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा।
(ii) चुनाव अधिकारी अपनी सहायता के लिए अन्य सहायक चुनाव अधिकारियों को आवश्यकतानुसार चुन सकता है।
(iii) एक से अधिक उम्मीदवार होने पर चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। चुनाव मत पत्रों द्वारा होगा। मतपत्रों पर चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होगे।
(iv) मौर्य महासंघ के वार्षिक अधिवेशन के दिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत समय पर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र, पद का नाम, प्रस्तावक एवं समर्थकों के हस्ताक्षर युक्त नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रस्तावक समर्थक की भूमिका साधारण समिति के सदस्य ही करेंगे।
(v) साधारण सभा को आम बैठक अथवा वार्षिक अधिवेशन में साधारण समिति के सदस्य अपने बीच से सभी प्रदेशों के समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए कार्यकारिणी के लिए पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी।
(vi) वार्षिक चुनाव की सूचना रिपोर्ट हर एक वर्ष पंजीयक कार्यालय को भेज दी जायेगी जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4 के अनुसार होगी।
(vii) एक व्यक्ति एक ही पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा
(vii) चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की घोषणा स्वयं करेगा। आवश्यक प्रपत्र मौर्य महासंघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। चुनाव सम्पन्न होने पर परिणाम तुरन्त घोषित कर दिया जायेगा।

महाधिवेशन

यह अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन के नाम से होगा। इसमें नव निर्वाचित कार्यकारिणी पदभार ग्रहण किया करेगी और समस्त देश के बुद्विजीवी, विद्वान इकट्ठे होकर कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श

करेंगे।

10 उपसमिति–प्रान्तीय मौर्य महासंघ

प्रान्तीय स्तर पर मौर्य महासंघ का गठन जिलो से आये प्रतिनिधियों में से होगा। प्रत्येक जिला मौर्य महासंघ अपने एक-एक प्रतिनिधि भेजेगा। जिस जिला से जिला मौर्य महासंघ के प्रतिनिधि नही भेजे गये है उन जिलों का प्रतिनिधित्व वार्षिक अधिवेशन में आये प्रतिनिधियों में से चुन लिये जायेंगे तथा जिन जिलों से पचास प्रतिशत आ गये है शेष पचास प्रतिशत अधिवेशनों में आये प्रतिनिधियों से चुन कर संघ का गठन होगा।

पदाधिकारियों की योग्यता

योग्यता :

क मैट्रिक कम से कम प्रादेशिक या हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना।

ख प्रान्तीय मौर्य महासंघ के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना तथा प्रान्तीय संघ के लिए कम से कम सात सौ रुपये वार्षिक धन संग्रह करने की क्षमता रखता हो।

अधिकार एवं कर्तव्य

साधारण सभा के सदस्यों को प्रान्तीय मौर्य महासंघ की कार्यकारिणी के किसी पद पर खड़े होने का अधिकार होगा।

क साधारण समिति के सदस्य, कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करेगें।

ख सदन के 8/10 की उपस्थिति से 5/8 के बहुमत से कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी को पद से पदच्युत कर सकते है।

कार्यकाल : दो वर्ष

प्रान्तीय कार्यकारिणी

प्रान्तीय कार्यकारिणी का चुनाव- प्रान्तीय साधारण समिति के सदस्य करेगें। महिलाओं सहित कम से कम 11 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होगे जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-दो महामन्त्री-एक, मंत्री-तीन, कोषाध्यक्ष-एक, सहकोषाध्यक्ष - एक, लेखा निरीक्षक-एक, संगठन-मंत्री-दो, प्रचार मंत्री-दो, सदस्य-10 से 16 तक। प्रान्तीय मौर्य महासंघ अपने निर्धारित कोटे के अनुसार अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की साधारण समिति के सदस्यों का चुनाव कर लेगा।

बैठके : साधारण समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करेगी और कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक चार माह के बाद हुआ करेगी। साधारण समिति द्वारा वर्ष का लेखा–जोखा और नीति निर्धारित होगी। कार्यकारिणी की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेगे।

प्रान्तीय अधिवेशन : प्रत्येक प्रान्त अपने प्रान्त में एक बार प्रान्तीय अधिवेशन का आयोजन करेगा और जिस जिले में प्रान्तीय मुख्यालय होगा वह जिला प्रान्तीय अधिवेशन करेगा। प्रान्तीय संघ अपने प्रान्त में समाज के महापुरूषों के नाम पर बालक तथा बालिका इंटर कॉलेज स्थापित करने का प्रयास करेगा। प्रान्तीय छात्रवृत्ति कोष स्थापित करना जिससे निर्धन छात्रों का कल्याण हो सके। इन प्रान्तीय अधिवेशनों में उक्त कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए ठोस सुझाव एवं साधन जुटाना ही अधिवेशनों का उद्देश्य होगा। प्रान्तीय अधिवेशन में अखिल भारतीय मौर्य महासंघ का महा सम्मेलन हुआ करेगा। अधिवेशन में आय–व्यय एवं आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रान्तीय संघ की कार्यकारिणी का अध्यक्ष :

प्रत्येक प्रान्त का अपना अलग–अलग एक एक अध्यक्ष होगा।

प्रान्तीय अध्यक्ष की योग्यता :

क) स्तानक : हिन्दी भाषा एवं प्रान्तीय भाषा लिखने व भाषण देने की क्षमता।

ख) आखिल भारतीय मौर्य महासंघ का सिपाही होना।

ग) समस्त आयोजनों का संचालन करने की क्षमता रखना।

निर्वाचन विधि :

प्रान्तीय सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा।

कार्यकाल : दो वर्ष

अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) प्रान्तीय संघ के प्रत्येक विभाग की देख–भाल करना और प्रान्तीय अधिवेशनों में उपस्थित होना।

(ii) प्रान्तीय समस्त वित्तीय अभिलेखों का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना और उनको प्रान्तीय लेखा निरीक्षक के पास भेजवाकर प्रान्तीय लेखा निरीक्षक की सन्तुष्टि प्राप्त करना।

(iii) कार्यकारिणी के सदस्यों के विरू(अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के विरू(कार्यवाही कार्यकारिणी की स्वीकृति लेकर ही करना।

उपाध्यक्ष :

क) योग्यता : अध्यक्ष की तरह

ख) कार्यकाल : दो वर्ष

ग) निर्वाचन : अध्यक्ष की भॉति।

घ) अधिकार एवं कर्तव्य : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण कार्य को चलाना और उसकी सहायता करना।

महामंत्री :

क) योग्यता : कम से कम 21 वर्ष की आयु का हो।

ख) स्नातक हिन्दी भाषा और प्रान्तीय भाषा लिखने और बोलने की योग्यता रखता हो

ग) संघ के प्रति निष्ठावान हो

घ) निर्वाचन : प्रान्तीय साधारण समिति द्वारा बहुमत के आधार पर।

ङ) कार्यकाल : दो वर्ष

च) कर्तव्य एवं अधिकार :

(i) प्रान्तीय संघों के समस्त रिकार्ड को रखना जिसकी सहायता के लिए प्रान्तीय कार्यालय के लिए अधीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(i) प्रान्तीय संघ की ओर से सब प्रकार का पत्र व्यवहार करना। नीति संबंधी पत्र व्यवहारों पर अध्यक्ष की स्वीकृति लेना।

3 (ii) जिला मंत्री, जिलाध्यक्ष एवं संध के राष्ट्रीय महामंत्री से पत्र व्यवहार करना।

4 (iii) संघ से जारी किये गये परिपत्रों को जिला संघों को भेजना और उनको पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए जिलाध्यक्ष एवं जिलामंत्री से अनुरोध करना।

(iv) अपने अधीन मंत्रियों को उनके क्षेत्रो के अनुसार कार्यो का वर्गीकरण कर देना और उन मंत्रियों से ताल–मेल स्थापित करते रहना।

(v) पांचवे वर्ष के अंतिम चरण में जिला संघ प्रान्तीय संघ के लिए एक एक निर्वाचित सदस्यों की सूची प्राप्त कर लेना और इस प्रकार कुल जिला संघों द्वारा निर्वाचित सदस्यों का योग बनाकर रखना।

(vi) प्रान्तीय संघों के पांचवे अधिवेशन में समस्त जिला संघों पर द्वारा निर्वाचित प्रत्येक प्रतिनिधि को प्रान्तीय महा सम्मेलन की पांचवी अधिवेशन की सूचना देना।

(vii) अपने प्रान्त के पांच अधिवेशन में महामंत्री नवीन निर्वाचित महामंत्री को कार्यभार सौप देगा।

मन्त्री

क) योग्यता : चुनाव एंव कार्यकाल महामंत्री की तरह।

ख) अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) महामन्त्री के निदेर्शो के अंतर्गत मंत्री अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनावायेंगे और महामंत्री से पत्रों द्वारा सीधा सम्पर्क करेगे।

(ii) समस्त नीति निर्धारण विषयों को आम जनता के अन्दर प्रचारित करना।

(iii) महामंत्री की सहायता करना।

(iv) अधिवेशनों एवं संघ की बैठकों में महामन्त्री की अनुपस्थिति में सारे कार्यो को करना।

कोषाध्यक्ष :

(क) योग्यता :

(i) हिसाब किताब व रोकडबही आदि रखने का पूर्ण ज्ञान।

(ii) कम से कम स्नातक अथवा हिन्दी एवं प्रान्तीय भाषा की लिखने बोलने का पूर्ण ज्ञान।

(ख) कार्यकाल : दो वर्ष

(ग) निर्वाचन : साधारण समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर।

(घ) अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) समस्त रोकड़ बही लिखना

(ii) अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति को धन देना। इस धन की वापसी उस व्यक्ति से लेना।

(iii) व्यय के समस्त बाउचर्स की फाइल रखना। आय–व्यय का वार्षिक चिट्ठा तैयार कर महामंत्री एवं अध्यक्ष के सामने अभिलेख प्रस्तुत करना।

(iv) कार्यकाल समाप्त होने पर बैंक नवीन निर्वाचित कोषाध्यक्ष के समस्त अधिकार एवं कर्तव्यों का उपयोग करना।

सह कोषाध्यक्ष :

(क) योग्यता एवं कार्यकाल तथा निर्वाचन कोषाध्यक्ष की तरह होगा।

(ख) अधिकार एवं कर्तव्य : कोषाध्यक्ष का पूर्ण सहयोग करना, धन संग्रह आदि में पूर्ण सहयोग करते हुए कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य को पूर्ण उत्तरदायित्व से निभाना।

लेखा निरीक्षक :

(क) निर्वाचन : साधारण समिति द्वारा समाज के निष्पक्ष सेवाभावी एवं निर्भीक व्यक्ति को लेखा निरीक्षक का पद दिया जाएगा।

(ख) अधिकार एवं कर्तव्य : प्रान्त के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करना।

(ग) जिला संघों के अभिलेखों का जिलेवार निरीक्षण करना।

(घ) निरीक्षण रिपोर्ट प्रान्तीय संघ के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना।

जिला इकाइयां

अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की प्रमुख रीढ़ जिला संघ इकाई ही है। यह जिला संघ अपना स्वतंत्र कोई पंजीयन नहीं करायेगी। उनका पंजीकरण प्रान्तीय संघ अथवा अखिल भारतीय मौर्य महासंघ से होगा। यदि जिले में अन्य कोई पंजीकृत संस्था है। तो पंजीकृत संस्था अपने स्वतंत्र पंजीकृत विधान के अनुसार कार्य संचालन करे। ऐसी पंजीकृत संस्था जिला संघ की सहयोगात्मक संस्था कहलायेगी। अखिल भारतीय मौर्य महासंघ का महा सम्मेलन अथवा प्रान्तीय अधिवेशन जिला संघ ही प्रान्तीय संघ के महामन्त्री अथवा अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के महामन्त्री की अनुमति द्वारा ही इन अधिवेशनों का आयोजन करेगा। जिला संघ अपनी कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पास केरके प्रान्तीय अधिवेशन या अखिल भारतीय मौर्य महा सम्मेलन के लिए लिखित रूप से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही प्रान्तीय संघ के महामन्त्री अथवा राष्ट्रीय महामंत्री अपनी कार्यकारिणी से इस प्रकार के अधिवेशनों और आयोजनों के प्रस्ताव पास करवा कर सम्बन्धित जिला मंत्रियों को सूचित कर देगे और जिला संघ अपनी स्वागत समिति बनाकर प्रान्तीय महामंत्री अथवा केन्द्रीय महामंत्री को पूर्ण रूप से अवगत करा देगा कि स्वागत समिति के स्वागत मंत्री ही मंच का संचालन का कार्य करेगे। प्रान्तीय महामंत्री एवं अखिल भारतीय महामंत्री इन अधिवेशनों की कारवाई को लिपिबद्ध करते जायेगे और स्वागत मंत्री को मंच संचालन के सहयोग भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कार्य की दृष्टि से अखिल भारतीय मौर्य महासंघ की प्रथम मुख्य इकाई जिला संघ है।

जिला संघ

जिला स्तर पर मौर्य जिला संघ का गठन तहसीलों से आये प्रतिनिधियों में से होगा। प्रत्येक तहसील संघ अपने क्षेत्र से पांच–पांच प्रतिनिधि भेजेगे। इस प्रकार कुल तहसील संघों के योग के बराबर ही मौर्य जिला संघ के अधिवेशन में प्रतिनिधि बनाकर साधारण समिति की स्थापना की जायेगी। प्रतिनिधि बनाने का शुल्क सम्बन्धित जिला संघों पर निर्भर करेगा।

जिला संघ की साधारण समिति के सदस्यों की योग्यता :

क कम से कम हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान।

ख जिला संघ के प्रति पूर्ण निष्ठावान।

ग कम से कम जिला संघ के लिए तीन सौ रूपये वार्षिक धन संग्रह करने की क्षमता रखता हो।

अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) साधारण समिति के सदस्यों को जिला संघ की कार्यकारिणी के किसी भी पद पर खड़ा होने का अधिकार है।

(ii) साधारण समिति के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य एवं पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। सदन के 6/7 की उपस्थिति में 5/7 के बहुमत से कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी को पद से पदच्युत कर सकते हैं।

कार्यकाल : दो वर्ष

जिला संघ की कार्यकारिणी :

जिला कार्यकारिणी में महिलाओं सहित कम से कम इक्कीस अधिक से अधिक इकतीस सदस्य साधारण समिति के सदस्य होगे। जिला संघ के लिए अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष–2, महामन्त्री–एक, कोषाध्यक्ष–एक, मंत्री–2, सहकोषाध्यक्ष–एक, लेखानिरीक्षक–एक, संगठन मंत्री–2, प्रचारमंत्री–एक तथा सदस्य 09 से 19 तक सदस्य का चयन करेगे। मंत्री का चयन जिला मंत्री अपने सहयोग और सहूलियत के अनुसार एक मंत्री को मनोनीत अध्यक्ष से करा देंगे और साधारण समिति से कुल उन्नीस कार्यकारिणी के सदस्य चुने जायेगे।

बैठक :

साधारण समिति की बैठक छः माह बाद हुआ करेगी। कार्यकारिणी की बैठक दो माह बाद हुआ करेगी। जिला संघ की कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों का विमोचन साधारण समिति की छः माही बैठक में किया करेगी।

जिला संघ के कर्तव्य :

(i) प्रत्येक जिला संघ अपने सदर क्षेत्र में मौर्य वंश के प्रमुख व्यक्तियों के नाम से बालक/बालिका इण्टर कॉलेज तक की संस्था का निर्माण करायेगा और ऐसी संस्था में अधिक से अधिक आजीवन सदस्य बनायेगा जिससे निर्मित संस्थाओं पर अन्य समाजों का आधिपत्य न हो।

(ii) अपने कार्य क्षेत्र में जिला के सदर स्थान पर एक मौर्य छात्रावास का निर्माण करेगा।

(iii) वजीफा फण्ड योजना के अन्तर्गत धन संग्रह करके गरीब छात्रों को धन देगा।

(iv) सहकारी समितियों का गठन कराकर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन करेगा।

(v) उत्पीड़ित जनता की पुकार को उच्च अधिकारियों तक सामूहिक हस्ताक्षरों से पहुँचाना।

(vi) सभा कार्यों के लिए विशाल धन संग्रह की योजना बनाकर जिले मौर्य महा संघ नाम से बैंक में खाता खोलना।

(vii) जिला मौर्य महासंघ द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वह जिला मौर्य महासंघ के कार्यों के लिए प्रान्तीय महासंघ के लिए अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के सम्मेलनों के लिए चन्दा द्वारा धन संग्रह कर सकता है। यह धन संग्रह अखिल भारतीय मौर्य महासंघ साधारण समिति के और प्रान्तीय मौर्य महासंघ के साधारण समिति के सदस्यों के अतिरिक्त होगा।

(viii) समस्त तहसीलों/ब्लॉकों में तहसील व ब्लॉक संघों का गठन करेगा।

जिला संघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारी :

अध्यक्ष :

जिला संघ के अध्यक्ष का चुनाव साधारण समिति के सदस्यों एवं अधिवेशनों में आये हुए प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत के आधार पर होगा।

अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) जिला संघ के समस्त कार्यों को कराने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। महामन्त्री बैठकों का आयोजन नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी।

(ii) अध्यक्ष समय-समय पर महामंत्री को कार्य करने के लिए अग्रेषित करते रहेंगे। जिला मौर्य महासंघ के अध्यक्ष जिला मौर्य महासंघ द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण कराने के लिए जिम्मेदार है।

(iii) जिला मौर्य महासंघ के अध्यक्ष को अपने कार्यकाल तक कोई पदच्युत नहीं कर सकता। परन्तु साधारण समिति की संख्या के निन्यानवे प्रतिशत की उपस्थित में नब्बे प्रतिशत के बहुमत में पदच्युत किया जा सकता है।

महामन्त्री :

योग्यता :

जिला संघ का महामंत्री योग्य, अनुभवी, कठोर परिश्रमी, निष्ठावान, मधुरभाषी, चतुर एवं नीति निपुण होना चाहिए। इसका निर्वाचन साधारण समिति एवं अधिवेशन में आये हुए प्रतिनिधियों द्वारा होगा।

अधिकार एवं कर्तव्य :

(i) जिला संघ के संचालन हेतु मंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष, लेखा निरीक्षक, सहकोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कर्मठ व्यक्तियों के नाम अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत कर अधिवेशन में पुष्टि करा लेगा।

(ii) महामंत्री जिला मौर्य महासंघ के समस्त कार्यों का जिम्मेदार है।

(iii) जिला मौर्य महासंघ की साधारण समिति एवं कार्यकारिणी संघ को बुलाने का परम कर्तव्य है।

(iv) जनता की मांग पर प्रान्तीय अधिवेशन अथवा अखिल भारतीय मौर्य महा सम्मेलन के आयोजन के लिए अपनी कार्यकारिणी एवं साधारण समिति एवं जिले के गणमान्य व्यक्तियों को बुला कर एवं निर्णय लेकर इन अधिवेशनों का आयोजन करना।

17 **संशोधन**

महासंघ के ज्ञापन पत्र में यदि किसी प्रकार का संशोधन हुआ तो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 व 12 ए के अनुसार होगा।

18 **संस्था का समापन एवं समायोजन**

संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार संस्था का विघटन होगा। यह महासंघ अपने प्रान्तीय मौर्य महासंघों के कार्य संचालन के लिए नियमावली बनायेगा। यदि कोई प्रान्त या जिला मौर्य महासंघ अलग से अपनी नियमावली बनाते है तो उनकी नियमावली प्रावधान महासंघ के संविधान विधान के विपरीत नहीं होने चाहिए।

19. अखिल भारतीय मौर्य महासंघ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण 21 का 1860 की सभी धाराओं के समस्त उपबंध लागू होगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के संविधान की सही प्रति है।

चन्द्रभवन मौर्य	डा. हरिराम मौर्य	रामदेव मौर्य
(अध्यक्ष)	(कोषाध्यक्ष)	(महामंत्री)
अखिल भारतीय मौर्य महासंघ	अखिल भारतीय मौर्य महासंघ	अखिल भारतीय मौर्य महासंघ